राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1183/2020
मदनलाल गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.08.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 17.09.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राशि रूपये 18,18,111/– (अठारह लाख अठारह हजार एक सौ ग्यारह रूपये) की वसूली के आदेश जारी किये गए हैं। विभागीय निर्देशानुसार उक्त राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा रूपये 9,09,055.50/– का सरंपच को एवं 50 प्रतिशत हिस्सा रूपये 9,09,055.50/– ग्राम विकास अधिकारी (अपीलार्थी) को जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही उसके विरूद्ध कोई जांच की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत (सरंपच एवं सचिव) ने नये निर्माण कार्य स्वीकृत कराने से पूर्व परिशिष्ठ 5 भरकर दिया, जिस पर अंकित शर्त क्र.स. 2 पर निर्माण कार्य व्यक्तिगत भुमि पर नहीं करवाया जायेगा के विपरीत वित्तिय अनियमितताएं कारित करते हुए 16 पेयजल टंकियों का निर्माण कार्य निजी खातेदारी भुमि में स्वीकृत कर राजकोष से 18,18,111/– की राशि व्यय कर दी। उक्त कृत्य के लिए प्रार्थी दोषी पाये जाने पर वसुली पत्र दिनांक 17.09.2020 जारी किया जो कि पूर्णतया विधिसम्मत होने से प्रार्थी की उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थायन राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

6. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उसकी जांच के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नोटिस प्रदान नहीं किया गया, न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो उचित नहीं है।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

8. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)